

ग्यारहवीं अनुसूची

[धारा 118 देखिए]

‘अनुसूची

[धारा 3 देखिए]

टिप्पण

5

1. इस अनुसूची में “शीर्ष”, “उपशीर्ष”, “टैरिफ मद” और “अध्याय” से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची का क्रमशः कोई शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और अध्याय अभिप्रेत है।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची और पहली अनुसूची के अनुभाग तथा अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पणों के निर्वचन के नियम, इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के वर्गीकरण के प्रयोजनों के संबंध में लागू होंगे।

10	क्रम सं०	माल का वर्णन
	(1)	(2)
	1.	रेशम, अर्थात् अध्याय 50 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।
	2.	ऊन, अर्थात् अध्याय 51 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, शीर्ष संख्या 5111, 5112 और 5113 के फ़ैब्रिक से भिन्न।
	3.	कपास, अर्थात् अध्याय 52 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।
15	4.	मानव निर्मित फ़िलामेंट, अर्थात् अध्याय 54 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।
	5.	मानव निर्मित स्टैपल फाइबर, अर्थात् अध्याय 55 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।
	6.	शीर्ष संख्या 5802 के अंतर्गत आने वाला रॉआदार तौलिया कपड़ा और वैसे ही व्यूतित रॉआदार फ़ैब्रिक।
	7.	शीर्ष 6002, 6003, 6004, 6005 और 6006 के फ़ैब्रिकों से भिन्न टूल और अन्य जाली फ़ैब्रिक, जिसके अन्तर्गत व्यूतित, बुने हुए या क्रोशियाकृत फ़ैब्रिक नहीं है; लेस नग में, पट्टियों में या मोटिफ में।
20	8.	बुने या क्रोशियाकृत फ़ैब्रिक अर्थात् अध्याय 60 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।
	9.	शीर्ष 5605 के अंतर्गत आने वाला धात्विक सूत।
	10.	शीर्ष 5810 के अंतर्गत आने वाली कशीदाकारी, नग में, पट्टियों में या मोटिफों में।